रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07112026-277789
CG-DL-E-07112026-277789

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5698] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 30, 2026/कार्तिक 8, 1948
No. 5698] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 30, 2026/KARTIKA 8, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अक्तूबर, 2026

का.आ. 5930(अ).— यत:, केंद्र सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68), की धारा 11 के तहत जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1507 (अ), दिनांक 12 मई, 2020 द्वारा केरलम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (नया एनएच-66) के किमी 358.750 से किमी 551.900 (एडापल्ली-एर्नाकुलम - तिरुवनंतपुरम-केरल/तमिलनाडु सीमा) को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके बाद "प्राधिकरण" कहा जाए) को सुपुर्द किया है;

अतः अब, समय-समय पर संशोधित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर अवधारण एवं संग्रहण) नियम 2008 के नियम 3 (जिसे इसके बाद "नियम" कहा जाए) के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना का.आ. 3543 (अ) दिनांक 20.08.2024 का अधिक्रमण करते हुए उन बातों के सिवाय, जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई हैं या करने से छूट गई हैं, केंद्र सरकार एतद्वारा केरलम राज्य में एनएच-66 (पुराना एनएच-47) के डिजाइन किमी 486.000 से किमी 517.250 तक के कोल्लम बाईपास के प्रारंभ से कदंबट्टुकोनम खंड के चार या अधिक लेन के उपयोग के लिए नीचे दी गई सारणी 1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर 28.386 किमी की निवल सड़क लंबाई [सारणी-2] और 28.640 किमी (2.864 किमी लंबाई वाली[सारणी -3])

की समतुल्य संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक) के लिए सारणी 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आधार की 100% की दर से शुल्क उद्गृहीत करती है और प्राधिकरण को अपने अधिकारियों या किसी संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात :-

सारणी – 1	
वाहन का प्रकार	**आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. आधार शुल्क दर (रुपए में)**
(1)	**(2)**
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस अथवा ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) अथवा मृदा संचालन उपस्कर (ई.एम.ई) या बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरी वाले)	4.20

1. इसके अंतर्गत उद्गृहीत और संगृहीत शुल्क, ऐसे शुल्क प्लाजाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट निवल सड़क की दूरी हेतु शुल्क प्लाजाओं में देय और संदेय होगी, अर्थात: -

सारणी – 2		
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चेनेज)	**लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क देय है**	**जिस दर पर शुल्क संदेय है**
केरल राज्य के कोल्लम जिले में कल्लूवथुक्कल गांव के पास एनएच-66 (पुराना एनएच-47) के किमी 513.750 पर।	28.386 [60 मीटर से अधिक लंबाई वाली संरचनाओं को छोड़कर]	पेव्ड शोल्डर के साथ चार या अधिक लेन के लिए उपर्युक्त सारणी -1 में उल्लिखित आधार दर का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित संरचनाओं के उपयोग के लिए संरचनाओं की लंबाई को 10 के समतुल्य कारक से गुणा करके संरचनाओं की लंबाई को राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में परिवर्तित करके निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगा:-

सारणी -3			
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चेनेज)	**समतुल्य सड़क लंबाई में परिवर्तित की जाने वाली संरचनाओं की लंबाई (कि.मी. में)**	**समतुल्य सड़क लंबाई (किमी में)**	**वह दर जिस पर शुल्क देय है**
केरल राज्य के कोल्लम जिले में कल्लूवथुक्कल गांव के पास एनएच-66 (पुराना एनएच-47) के किमी 513.750 पर।	2.864*	28.640	चार या अधिक लेन के लिए उपर्युक्त सारणी -1 में उल्लिखित आधार दर का 100%

*60 मीटर से अधिक लंबाई वाली संरचनाओं का विवरण निम्न प्रकार है:

क्र. सं	**संरचना का स्थान (चेनेज किमी)**		**संरचना का प्रकार**	**लंबाई (किमी)**
1	487.311	487.931	बड़ा पुल	0.620
2	490.225	490.320	बड़ा पुल	0.095
3	491.037	491.523	वायडक्ट सह फ्लाईओवर	0.486
4	491.935	492.761	बड़ा पुल	0.826
5	496.479	496.545	वीयूपी	0.066
6	499.480	499.680	वायडक्ट सह फ्लाईओवर	0.200
7	502.617	502.739	फ्लाईओवर	0.122
8	504.363	504.545	वायडक्ट सह वीयूपी	0.182
9	505.580	505.665	बड़ा पुल	0.085
10	507.732	507.798	फ्लाईओवर	0.066
11	515.214	515.330	फ्लाईओवर	0.116
कुल				**2.864**

3. गैर वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और शुल्क प्लाजा बीस किलोमीटर तक की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2026-27 के लिए 360.000 रुपये (तीन सौ साठ रुपये मात्र) है और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के लिए अध्यधीन है।

4. राजमार्ग खंड पर एकाधिक यात्राओं के लिए निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात:-

सारणी-4		
संदेय धनराशि	**अनुज्ञात एकतरफ़ा यात्राओं की अधिकतम संख्या**	**विधिमान्यता की अवधि**
एक तरफ की यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तिथि से एक मास

5. जिस जिले में शुल्क प्लाजा स्थित है, वहां पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के तहत चलने वाले वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित दर का 50% होगा, बशर्ते ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

6. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश के लिए उक्त नियम के नियम 10 में विनिर्दिष्ट शुल्क के समतुल्य शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

7. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

8. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क दरें प्रदर्शित की जाएंगी।

9. उपर्युक्त सारणी –1 यथा उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी. शुल्क की आधार दर के आधार पर यांत्रिक वाहनों से शुल्क की वास्तविक राशि और छूटों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अँग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक–एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा। वित्तीय वर्ष के लिए अधिसूचना जारी करने के लिए मासिक पास की दर का आकलन करें।

10. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 3261.57 करोड़ रुपये है। चूंकि भूमि अधिग्रहण, उपयोगिता स्थानांतरण, पेड़ों को काटने इत्यादि कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना है इसलिए पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्यधीन है। प्राप्त प्रयोक्ता शुल्क के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का प्राधिकरण द्वारा रिकार्ड रखा जाएगा।

[फा. सं. सीओडीआईवी -13024/1/2024-पीआईयू तिरुवनंतपुरम-भाग(1)/ई- 269601]

चेतना नंद सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th October, 2026.

S.O. 5930(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O.1507(E) dated the 12th May, 2020, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from Kilometer 358.750 to Kilometer 551.900 (Edappalli- Ernakulam - Thiruvananthapuram-Keralam/Tamil Nadu Border) of National Highway No.47 (New NH-66) in the State of Keralam to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and amended from time to time (hereinafter referred to as the "rules"), and in supersession of the Notification No. S.O.3543 (E) dated 20.08.2024, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby levies the fee at 100% of the base rate specified in columns (2) of the Table 1 for a net road section length of 28.386 km [Table-2] and for equivalent structure length (having length more than 60 m) of 28.640 km (having length of 2.864 km [Table-3] on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below for use of four or more lane of Start of Kollam Bypass to Kadambattukonam Section from design kilometer 486.000 to kilometer 517.250 of NH-66 (Old NH-47) in the State of Keralam and authorizes the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table 1

Type of vehicle	**Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)**
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza(s) namely;

Table-2

Location of Fee Plaza (Chainage)	**Length (in km) for which Fee is payable**	**Rate at which fee is payable**
At Km. 513.750 of NH-66 (Old NH-47) near Kalluvathukkal village in Kollam district of Keralam State	28.386 [excluding length of structures (> 60m)]	100% for four or more lanes with paved shoulders, of the base rates mentioned in Table-1 above

2. The following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:-

Table-3			
Location of Fee Plaza (chainage)	**Length of structures* (in km) to be converted into equivalent road length**	**Equivalent Road length (in km)**	**Rate at which fee is payable**
At Km. 513.750 of NH-66 (Old NH-47) near Kalluvathukkal village in Kollam district of Keralam State	2.864*	28.640	100% for four or more lanes, of the base rates mentioned in Table-1 above

*Details of structure having length more than 60m is as under:

S. No.	Location of Structure (Chainage km)		Type of Structure	Length (km)
1	487.311	487.931	Major Bridge	0.620
2	490.225	490.320	Major Bridge	0.095
3	491.037	491.523	Viaduct Cum Flyover	0.486
4	491.935	492.761	Major Bridge	0.826
5	496.479	496.545	VUP	0.066
6	499.480	499.680	Viaduct Cum Flyover	0.200
7	502.617	502.739	Flyover	0.122
8	504.363	504.545	Viaduct Cum VUP	0.182
9	505.580	505.665	Major Bridge	0.085
10	507.732	507.798	Flyover	0.066
11	515.214	515.330	Flyover	0.116
Total				**2.864**

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non- commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs. 360.00 (Rupees Three Hundred and Sixty only) for the year 2026-27 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:-

Table-4		
Amount Payable	**Maximum number of one way journeys allowed**	**Period of validity**
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

6. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fees specified in rule 10 of said rules.

7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc., shall be as per definitions specified in the said rules.

8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

9. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language. Assess the rate of monthly pass for the financial year of publication of the notification.

10. The estimated capital cost of the project is Rupees 3261.57 Crore. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, change of scope etc. are yet to be completed. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised.

[F. No. CODIV-13024/1/2024-PIU Thiruvananthapuram-Part(1) / E- 269601]

CHETNA NAND SINGH, Jt. Secty.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

BHABAJIT DEKA